सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —116 / 2018 अपील (RCMS/2018/00127)
पंजीयन दिनांक —13.08.2018
निर्णय दिनांक —03.12.2018

1. श्री रतनलाल पिता बाबूलाल रेगर, निवासी गोपालनगर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. प्रतापी बेवा बाबूलाल रेगर, निवासी गोपालनगर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. कालीबाई पत्नि रतनलाल रेगर, निवासी गोपालनगर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

—अपीलान्टस्

बनाम

1. श्री नारायणलाल पिता अम्बालाल रेगर, निवासी गोपालनगर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री जितेन्द्र कुमार पिता अम्बालाल रेगर, निवासी गोपालनगर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. ग्राम पंचायत ऐराल जरिये सरपंच, ग्राम पंचायात ऐराल, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
4. भूमिधारी तहसीलदार, चित्तौडगढ़।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री एस.एन.गोस्वामी — वकील अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 29 / 2013 दिनांक 29.05.2015

निर्णय

दिनांक 03.12.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 29 / 2013 दिनांक 29.05.2015 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुरजपोल की आराजी संख्या 255, 260, 261, 262 किता 4 रकबा 1.27 हैक्टेयर भूमि का विरासती नामान्तरकरण संख्या 161 दिनांक 11.08.1997 को ग्राम पंचायत एराल द्वारा स्वीकृत किया गया था। मृतक खातेदार नाथु के दो पुत्र बालू एवं हजारी हुए जिसमें से बालू फौत हो चुका है। जिसका एक पुत्र रतन व पत्नि प्रतापी हुए जिनका 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 161 पूर्ण जानकारी किये बिना किया गया है। बालू की मृत्यु उसके पिता नाथू से पूर्व हो चुकी थी। उस समय बालू के वारिस अम्बालाल, रतनलाल पुत्र एवं प्रतापी बेवा थी। अम्बालाल की मृत्यु भी उसके दादाजी नाथू से पूर्व हो चुकी थी। अम्बालाल का एकमात्र वारिस उसका पुत्र नारायण मौजुद है जिसका हक उक्त विवादित आराजीयात में विरासती आधार पर सहखातेदार होकर निहित है। उक्त नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम अंकित नहीं किया। जिससे रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ समक्ष अपील प्रस्तुत की गई।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण कैम्प कोर्ट एराल अटल सेवा केन्द्र पर दिनांक 29.05.2015 को रखा गया एवं अपने निर्णय दिनांक 29.05.2015 से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 161 दिनांक 11.08.1997 निरस्त कर नारायणलाल पिता अम्बालाल का नाम अन्य सहखातेदारान के साथ अंकित किये जाने का आदेष दिया।

उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेंटस् की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस दिनांक 03.12.2018 को सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में पेशी दिनांक 06.07.2015 को पेशी नियत रखी गयी, परन्तु दिनांक 29.05.2015 को केम्प कोर्ट एराल में प्रकरण रखा गया जिसकी कोई जानकारी अपीलान्टगण को नहीं दी गई और ना ही प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किया गया, न विरासत का सजरा प्रमाणित हुआ, न जांच की गई, नहीं अपील के तथ्यों को अपीलान्ट ने प्रमाणित कराया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 16 वर्ष पूर्व खोले गये नामान्तरकरण को बिना किसी सुनवाई के निरस्त कर दिया। राजस्व केम्पों में राजीनामा योग्य प्रकरणों का ही निस्तारण दोनों पक्षों की मौजूदगी एवं सहमति से किया जाता है, परन्तु उपरोक्त प्रकरण में कोई राजीनामा नहीं हुआ और न ही अपीलान्ट को सूचना दी।

उक्त निर्णय की जानकारी नहीं होने से प्रकरण में प्रश्नगत अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ जिस हेतु मयाद कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम भी प्रस्तुत किया गया। अन्त में विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 29.05.2015 को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन में कहा गया कि प्रकरण दिनांक 06.07.2015 को पेशी हेतु नियत होने उपरान्त भी अपीलान्टस् को बिना सूचना एवं जानकारी के प्रकरण को केम्प कोर्ट एराल में दिनांक 29.05.2015 को रखकर एकतरफा निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से अपीलान्ट के उक्त कथन की पुष्टी होती है, जिससे प्रकरण में निर्णय दिनांक 29.05.2015 पारित करने से पूर्व अपीलान्टगण को सूचना देना एवं सुना जाना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलांटस् द्वारा प्रश्नगत अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण उचित एवं संतोषप्रद प्रतीत होते है। साथ ही प्रस्तुत तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि निर्णय दिनांक 29.05.2015 पारित किये जाने के समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं उपरोक्त तथ्यों पर पूर्णतया विचार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 29.05.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण कर एवं तथ्यों की जांच करा नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय दिनांक 03.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर